डिपो मैनेजर ए.पी.एस.आर.टी.सी.

बनाम

बी. स्वामी

अप्रैल 03, 2007

बी.पी. सिंह और पी.के. बालासुब्रमण्यन, जे.जे.

सेवा विधिः

बर्खास्त-बस-कन्डक्टर 16 अनपढ़ महिला यात्रीयों को वास्तविक किराये से कम मूल्य के टिकट जारी करने का दोषी पाया गया। सेवा से बर्खास्त किया गया। श्रम न्यायालय ने कदाचार को प्रमाणित माना और निष्कासन को उचित ठहराया।

उच्च न्यायालय ने सजा को अत्यधिक गंभीरता के रूप में माना और घटना को कर्मचारी के लम्बे कार्यकाल में आकस्मिक और एकान्त करार देते हुेवे उसकी नई नियुक्ति का निर्देशन दिया- माना गया - केवल यह तथ्य कि यह पहला अवसर था जब प्रतिवादी पकड़ा गया था, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि यह आकस्मिक हुआ था। एक बस के परिचालक को उस पर विश्वास है- वह केवल यात्रियों को टिकट जारी करने और यात्रियों से एकत्र किये गये किराये का लेखा जोखा रखने का कर्तव्य निभाता है- यदि वह अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में बेईमान है, तो वह गंभीर

कदाचार का दोषी है और कदाचार की गंभीरता को इस तथ्य से कम नही किया जा सकता कि वह पहले कभी इस तरह के बेईमानपूर्वक आचरण में लिप्त था, नां ही पकड़ा गया था। यहां तक कि बईमानी का एक भी कार्य जो विश्वास का उल्लंघन है, गंभीर प्रबन्धन के सजा आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता जिससे श्रम न्यायालय ने बरकरार रखा था।

उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर पुनः स्थापित किया-श्रम कानून।

सिविल अपील न्याय निर्णयः सिविल अपील संख्या 1766/2007

ए.वी. राव, सतीश गल्ला, प्रभाकर परनम, वैंकटेश्वर राव अनुमोलु, आर. संथन कृष्णन, के. राधा रानी, प्रवीण के. पांडे, पी. विजय कुमार, सी. सुलसी कृष्णा और डी. महेश बाबू, पक्षकारों की ओर से उपस्थित।

न्यायायल का आदेश दिया गया था-

अपील संख्या 1484/2005 में आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के अंतिम निर्णय आदेश दिनांक 30.08.2005 से।

अनुमति प्रदान की गई।

यह निर्विवाद है कि 23 मई, 2000 को प्रतिवाद एक परिचालक था जो ए.पी.एस.आर.टी.सी. से संबंधित बस में परिचालक के रूप में अपने

कर्तव्यों का पालन कर रहा था। जब वाहन की जांच की गई तो पता चला कि 16 अनपढ महिला यात्रियों को 4 रुपये के बजाय 0.50 पैसे मूल्य के टिकट जारी किये थे। प्रत्यर्थी पर आरोप है कि उसने उनमें से प्रत्येक से एक अतिरिक्त राशि एकत्र की थी जिससे उसने अपनी जेब में डाल लिया था। जांच कर्मचारी ने यात्रियों का बयान दर्ज किया था जिसके बाद प्रतिवादी को आरोप पत्र जारी किया गया था। जांच के बाद, प्रबंधन ने प्रतिवादी को सेवा से हटा दिया था।

प्रतिवादी ने प्रबंधन द्वारा पारित सेवा से हटाने के आदेश को रद्द करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 ए (2) के तहत श्रम न्यायालय का रुख किया। श्रम न्यायालय ने रिकाॅर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के अवलोकन के बाद निष्कर्ष निकाला कि 16 महिला यात्रियों को वास्तव में चार रूपये के बजाय 0.50 पैसे के कम मूल्य वर्ग के टिकट दिये गये थे । यदि वाहन की जांच नहीं होती तो प्रत्यर्थी बिना बताये 52 रूपये अपनी जेब में डाल लेता । प्रत्यर्थी के इस कथन में कोई सार नहीं मिला (पाया गया) कि बस में क्षमता से अधिक लोग भरे हुये थे इसलिए उसने गलती से यह टिकट जारी कर दिये थे। प्रत्यर्थी के तर्क को अस्वीकार करते हुवे श्रम न्यायालय ने माना कि प्रबन्धन ने एक परिचालक के रूप में प्रत्यर्थी पर भरोसा जताया था क्योकि उसने पाया कि वह अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से नहीं कर रहा था। इसलिए उसे

सेवा से हटाना उचित था । यदि परिचालक की ओर से इस तरह के कृत्यों को माफ कर दिया जाता है तो अंतिम पीड़ित ए. पी. एस. आर. टी. सी. होगा।

श्रम न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि यह नहीं हो सकता है कि कम मूल्य के टिकट जारी करने में एक आकस्मिक पर्ची होगी क्योकि इस तरह के टिकट एक या दो यात्रियों को नहीं बल्कि 16 यात्रियों को जारी किये गये थे। मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुवे श्रम न्यायालय ने माना कि कदाचार साबित हो गया था और प्रबंधन ने प्रतिवादी को सेवा से हटाने में न्यायसंगत था।

श्रम न्यायालय के आदेश पर प्रतिवादी ने उच्चा न्यायालय आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के समक्ष रिट पिटीशन संख्या 25369/2004 में आपत्ति जताई थी। विद्वान न्यायाधीश ने पक्षों को सुनने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया और जांच अधिकारी के निष्कर्षाे को बरकरार रखा। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी देखा कि प्रत्यर्थी ने यह स्थापित करने के लिए स्वयं की जांच नहीं की थी कि जांच अधिकारी के निष्कर्ष खराब या विकृत थे। उन्हें इस आरोप में कोई आधार नहीं मिला कि जांच अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही निष्पक्ष नहीं थी इसलिए रिट याचिका खारिज कर दी गई।

इसके बाद प्रत्यर्थी ने रिट अपील संख्या 1484/2005 दायर की। डिवीजन बैंच जिसने अपील की सुनवाई की, ने वस्तुतः इसे एक पैराग्राफ में निपटाया है जो इस प्रकार है-

> "दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन पर यह देखा जाता है कि अपीलार्थी एक वरिष्ठ कर्मचारी है और यह घटना उसकी पूरी सेवा में एक आकस्मिक घटना प्रतीत होती है। प्रत्यर्थीयों द्वारा यह दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था कि किसी भी समय अपीलार्थी ऐसी अनियमितता में शामिल था। उसी को ध्यान में रखते हुवे और विशेष रूप से 16 यात्रियों के बस में अधिक भार को देखते हुवे हम महसूस करते है कि समाप्ति का आदेश काफी अनुचित है और अपराध को अतिरिक्त गंभीरता देता है।"

तद्नुसार रिट अपील को आंशिक रूप से इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि दिनांक 19.04.2004 पंचाट को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी के स्थान पर दूसरे प्रत्यर्थी को नई नियुक्ति देने का निर्देश दिया जाता है। हम यह समझाने में विफल रहे है कि घटना को कैसे आकस्मिक वर्णित किया जा सकता है। केवल यह तथ्य कि पहला अवसर था जब

प्रतिवादी पकड़ा गया था। यह मानने का कोई आधार नहीं है कि यह आकस्मिक था। विद्वान न्यायाधीशों के साथ जो बात भारी पड़ी वह यह थी कि प्रतिवादी को पहले ऐसी अनियमितताओं में शामिल नहीं पाया गया था। हमारे विचार में यह इस मामले के तथ्यों में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बस के चालक में उस विश्वास का आनन्द मिलता है जो उसमें व्यक्त किया जाता है। वह उचित टिकट जारी करने के बाद ईमानदारी से यात्रियों से किराया वसूलने की जिम्मदारी स्वीकार करता है और इस तरह एकत्र किये गये धन का लेखा देने के लिए बाध्य है। यदि चालकों का प्रदर्शन मं बेईमान होना था अपराध को ''अतिरिक्त गंभीरता'' दी। हम यह देखने के लिए विवश है कि उच्च न्यायालय प्रबंधन के आदेश को अपराध की गंभीरता को बढाचढाकर बताने के लिए प्रेरित करने के रूप में चिन्हित करने में उचित नहीं था। परिचालक केवल यात्रियों को टिकट जारी करने और लेखांकन का कर्तव्य निभाता है।

यात्रियों से प्रबंधन को एकत्र किये गये किराये के लिए यदि वह अपने कर्तव्यों के निष्पादन में बेईमान है तो वह दुराचार का दोषी है और दुराचार की गंभीरता को इस तथ्य से कम नहीं किया जा सकता कि वह पहले इस तरह के बेईमान आचरण मे लिप्त नहीं पाया गया था। कोई गारंटी नहीं है कि उन्होने अतीत में बेईमानी से काम नहीं किया था

जिसका पता नहीं चला था। यहा तक कि बेईमानी का एक कार्य जो विश्वास का उल्लंघन है, उसे भी गंभीर संजा दी जा सकती है।

प्रबंधन के आदेश से संतुष्ट हैं। जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार (औचित्य) नहीं है जिसे श्रम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के आदेश को अपास्त कर रिट याचिका खारिज करते हुए विद्वान एकल पीठ न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की जाती है।

शुल्क के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी केदारनाथ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।